

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 283]
No. 283]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 11, 2016/आषाढ़ 20, 1938
NEW DELHI, MONDAY, JULY 11, 2016/ASADHA 20, 1938

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2016

मि. सं. 1-1/2012(सीपीपी-II).—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 26 की धारा (1) की उप-धारा (एफ) एवं (जी) जिसे अनुच्छेद 12 की धारा (जे) के साथ संयुक्त रूप से पढ़ा जाए, में प्रदत्त अधिकारों के अनुपालन में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एतद्वारा निम्न विनियम निर्मित करता है, नामतः—

1. लघु शीर्ष, अनुप्रयोग एवं प्रवर्तन—

- (1) ये विनियम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (भारतीय एवं विदेशी शैक्षिक संस्थानों के मध्य अकादमिक सहयोग के मानकों की प्रोन्नति एवं अनुरक्षण) विनियम, 2016 कहलायेंगे (जो आगे से विनियम के रूप में जाने जाएँगे)
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (भारतीय एवं विदेशी शैक्षिक संस्थानों के मध्य अकादमिक सहयोग के मानकों की प्रोन्नति एवं अनुरक्षण) विनियम, 2012 एतद्वारा निरस्त माने जाएँगे।
- (2) ये विनियम निम्न पर लागू होंगे—
 - (ए) तकनीकी संस्थानों के अतिरिक्त अन्य भारतीय संस्थानों के साथ सहयोग कर रहे ऐसे समस्त विदेशी शैक्षिक संस्थान जो इन विनियमों के लागू होने से पूर्व भारत में संचालन कर रहे हैं अथवा सहयोग के माध्यम से डिग्री प्रदान करने के लिए अपने पाठ्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए इच्छुक हैं; तथा
 - (बी) ऐसे भारतीय शैक्षिक संस्थान— तकनीकी संस्थानों के अतिरिक्त— जो इन विनियमों के लागू होने से पूर्व, पहले से ही सहयोग प्रदान कर रहे हैं अथवा डिग्री स्तर पर अध्ययन कार्यक्रम प्रस्तुत करने के उद्देश्य से विदेशी शैक्षिक संस्थानों के साथ सहयोग कर रहे हैं।
 - (3) ऐसे कोई भी भारतीय शैक्षिक संस्थान अथवा विदेशी शैक्षिक संस्थान (जो कि पहले से ही परस्पर सहभागी व्यवस्था के अन्तर्गत हैं)— वे इन विनियमों को लागू होने की तिथि से 06 माह के भीतर इनका अनुपालन करेंगे।
 - (4) सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से ये विनियम लागू माने जाएँगे।

2. परिभाषाएँ—

- (ए) "अधिनियम" से तात्पर्य है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 जो कि समय-समय पर संशोधित किया गया है।

- (बी) भारतीय शैक्षिक संस्थानों के परिप्रेक्ष्य में "आकलन एवं प्रत्यायन एजेन्सी" का अर्थ एक ऐसी एजेन्सी से है जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (आकलन एवं प्रत्यायन एजेन्सियों की मान्यता एवं सर्वेक्षण) विनियम, 2014 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।
- (सी) किसी भी विदेशी शैक्षिक संस्थान के परिप्रेक्ष्य में "आकलन एवं प्रत्यायन एजेन्सी" का अर्थ ऐसी एक एजेन्सी या निकाय से है जो किसी ऐसे प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत, मान्यता प्राप्त अथवा प्राधिकृत है जो उनके निजी देश के अन्तर्गत किसी कानून द्वारा स्थापित अथवा निगमित है अथवा अन्य किसी सांविधिक प्राधिकरण के अन्तर्गत आकलन, प्रत्यायन अथवा गुणवत्ता सुनिश्चित करने एवं शैक्षिक संस्थानों के मानकों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्थापित है।
- (डी) "सहभागिता" का अर्थ, इन विनियमों के परिप्रेक्ष्य में, किसी एक भारतीय शैक्षिक संस्थान एवं एक विदेशी शैक्षिक संस्थान के मध्य तय किए गए ऐसे एक समझौते से है जिसे एक लिखित समझौते का रूप दिया गया है और जिसे डिग्रीयों प्रदान करने के उद्देश्य से संयोजित किया गया है।
- (ई) "आयोग" का तात्पर्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से है जो अधिनियम के अनुच्छेद 4 के अन्तर्गत स्थापित है।
- (एफ) "डिग्री" का अर्थ एक ऐसी उपाधि से है जो यूजीसी अधिनियम के अनुच्छेद 22 के प्रावधानों के अनुसार किसी भारतीय शैक्षिक संस्थान द्वारा प्रदान की गई है।
- (जी) "फ्रेंचाइज" का अर्थ डिग्री प्रोग्राम, औपचारिक अथवा अनौपचारिक रूप से, ऐसे व्यक्ति अथवा संस्था अथवा संगठन द्वारा, जो विनियमों के तहत मान्यता प्राप्त उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं से भिन्न हैं, मान्यता प्राप्त उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं की अथवा उनके नाम पर दिए जाने से है और "फ्रेंचाइजी" शब्द का अर्थ तदनुसार ही लगाया जाएगा।
- (एच) "विदेशी शैक्षिक संस्थान" का अर्थ (i) ऐसे एक संस्थान से है जो अपने निजी स्वदेश (Home Country) में विधिवत रूप से स्थापित अथवा निगमित है और जो अपने स्वदेश में स्नातक पूर्व एवं उच्च शैक्षिक पाठ्यक्रम उपलब्ध करा रहा है और (ii) जो एक भारतीय शैक्षिक संस्थान के साथ संयोजित व्यवस्था के इस्तेमाल के माध्यम से परन्तु दूरस्थ शिक्षा विधि से अतिरिक्त एक पारम्परिक विधि के अन्तर्गत डिग्री प्रदान करने का अध्ययन पाठ्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है।
- (आई) "भारतीय शैक्षिक संस्थान" का अर्थ ऐसे एक (शासकीय एवं निजी) विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय अथवा संस्थान, तकनीकी संस्थान के अतिरिक्त, जो अपने इसी नाम से या दूसरे किसी नाम से जाना जाता है, जिसे संबद्ध सांविधिक निकाय ने स्नातक पूर्व एवं उसके उच्चतर स्तरों पर शिक्षा प्रदान करने के लिए यथा स्थिति मान्यता प्रदान की है, से है।
- (जे) इन विनियमों को दृष्टिगत करते हुए एक "संयुक्त डिग्री" (Joint Degree) का अर्थ एक ऐसी एकल डिग्री से है जो भारतीय शैक्षिक संस्थान और सहभागी विदेशी शैक्षिक संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से प्रदान की गई है।
- (के) "सांविधिक निकाय" का अर्थ ऐसे एक निकाय से है जिसे व्वावसायिक पाठ्यक्रमों सहित विश्वविद्यालयों में शिक्षण, परीक्षा एवं शोध अथवा अध्ययन पाठ्यक्रम संबंधी मानक नियन्त्रित, समन्वित, निर्धारित एवं अनुरक्षित करने के लिए केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित/निगमित किया गया है जिनके आधार पर डिग्री दी जाती है।
- (एल) "तकनीकी संस्थान का अर्थ" ऐसे एक संस्थान से है जो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा अधिनियम 1987 के अनुच्छेद 2 की धारा (एच) के अन्तर्गत परिभाषित है परन्तु तकनीकी विश्वविद्यालयों और तकनीकी पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने वाले विश्वविद्यालयों से भिन्न है।
- (एम) "ट्रिवनिंग पाठ्यक्रम" का अर्थ ऐसे अध्ययन पाठ्यक्रम से है जिसके द्वारा भारतीय शैक्षिक संस्थान में प्रवेश प्राप्त छात्र अपना अध्ययन पाठ्यक्रम आंशिक रूप में यूजीसी के संबद्ध विनियमों का अनुपालन करते हुए भारत में पूरा करें और आंशिक रूप से उस विदेशी शैक्षिक संस्थान के स्वदेश में स्थित मुख्य परिसर में जहाँ पर वह प्राथमिक रूप से स्थापित अथवा निगमित है, पूरा करें।
3. सहभागिता के पात्रता मानदण्ड एवं शर्तें:-
- (1) किसी भारतीय शैक्षिक संस्थान के साथ सहभागिता करने वाले किसी भी विदेशी शैक्षिक संस्थान को निम्न मानदण्ड अथवा शर्तें पूरी करनी होंगी:-
- (ए) वह अपने स्वदेश में स्थित किसी सर्वोच्च ग्रेड की आकलन एवं सत्यापन एजेन्सी द्वारा प्रत्यायित हो (जहाँ तक ग्रेड प्रत्यायन का संबंध है) अथवा आधारगत स्तर पर (आधारगत प्रत्यायन की स्थिति में) प्रत्यायित हो।
- (बी) सहभागिता से, भारत में भारतीय शैक्षणिक संस्थान के माध्यम से संचालन की व्यवस्था हो।
- (सी) भारत सरकार एवं सांविधिक नियामक निकायों द्वारा समय समय पर निर्धारित की गई अन्य किसी भी शर्त का अनुपालन करके,
- (2) विदेशी शैक्षिक संस्थान के साथ सह भागिता करने वाले किसी भी भारतीय शैक्षिक संस्थान द्वारा निम्न मानदण्ड अथवा शर्तों को पूरा किया जाएगा:-
- (ए) सहभागिता के लिए समझौते के समय भारतीय शैक्षिक संस्थान के पास ऐसी एक आकलन एवं प्रत्यायन एजेन्सी द्वारा किया गया प्रत्यायन ए ग्रेड अथवा इसके समतुल्य ग्रेड से नीचे प्रत्यायन नहीं होगा अथवा उस संस्थान या पाठ्यक्रम का आधारगत स्तर पर प्रत्यायन होगा (आधारभूत प्रत्यायन के मामले में), जैसा भी लागू हो।

(बी) डिग्री स्तर पर भारतवर्ष में शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए, उस एजेन्सी के पास छह वर्ष का अनुभव अथवा स्नातक स्तर प्राप्त कर रहे छात्रों के न्यूनतम दो दल के समूह (Batch), जो भी पहले हो।

बशर्ते डिग्री स्तर पर भारतवर्ष में शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए, ऐसे भारतीय शैक्षिक संस्थान जो आयोग द्वारा, अथवा केन्द्र/राज्य/संघशासित सरकारों द्वारा अनुरक्षित हैं, उन्हें छह वर्ष के अनुभव अथवा स्नातक स्तर पर शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों के न्यूनतम दो समूहों (Batch) की अनिवार्यता से छूट होगी।

बशर्ते इसके साथ ही ऐसा कोई भारतीय शैक्षिक संस्थान जिसने इन विनयनों को लागू किए जाने की तिथि से पूर्व विदेशी शैक्षिक संस्थान के साथ सहभागिता समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और जिनके पास इन विनयनों के अधिसूचित किए जाने की तिथि तक आवश्यक प्रत्यायन नहीं था उसे 6 वर्ष की शैक्षिक पाठ्यक्रमों के आरम्भ होने की अवधि पूरी होने अथवा स्नातक स्तर प्राप्त कर रहे छात्रों के दो समूहों (Batch), जो भी पहले हो, एक स्वीकृत एजेन्सी से, एक वर्ष के भीतर, प्रत्यायन प्राप्त करना होगा।

बशर्ते इसके साथ ही इन विनयनों की अधिसूचना से छह माह के भीतर इस सहभागिता का मूल्यांकन आयोग की एक उप-समिति द्वारा किया जाएगा जो भारतीय उच्च शैक्षिक संस्थान द्वारा की गई प्रस्तुति को विचाराधीन रखेगी। इस उप-समिति में वे विशेषज्ञ सम्मिलित होंगे जिन्हें अन्तर्राष्ट्रीय न्यायशास्त्र का अनुभव है, जिनकी अन्तर्राष्ट्रीय अकादमिक पृष्ठभूमि है और इसमें भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ए.आइ.यू.) तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) आदि के प्रतिनिधि भी सम्मिलित होंगे।

उप-समिति की सिफारिशों के आधार पर आयोग इस सहभागिता को जारी रखने अथवा अन्य किसी रूप में इस पर निर्णय लेगा। सहभागिता के समापन के निर्णय की स्थिति में आयोग उसके निर्णय के विशेष आधार को दर्ज करेगा। आयोग का निर्णय संस्थान को प्रेषित किया जाएगा।

(सी) प्रयोगशाला एवं कार्यशाला सुविधाओं सहित उसकी अकादमिक अवसंरचना एवं पुस्तकालय द्वारा इस सापेक्ष व्यावसायिक सांविधिक परिषदों/निकायों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी।

(डी) यदि ऐसा कोई भारतीय शैक्षिक संस्थान जो किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध है और जो डिग्री स्तर के अध्ययन पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए किसी विदेशी संस्थान की सहभागिता कर रहा है, तो उसे संबद्ध (Affiliating) विश्वविद्यालय से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी।

(3) ऐसे समस्त संस्थान (भारत अथवा विदेशी) जो सहभागिता संयोजन अथवा अन्य प्रकार की भागीदारी संबंधी व्यवस्थापनों में सम्मिलित हैं, वे निम्न मानदण्डों एवं शर्तों को पूरा करेंगे:-

(ए) संबद्ध भारतीय शैक्षिक संस्थान द्वारा पाठ्यक्रम करने से पूर्व, पाठ्यक्रम संबंधी अनिवार्यताओं एवं अन्य विवरण को सार्वजनिक किया जाएगा तथा उसे प्रमुखता से उसकी वेबसाइट पर दर्शाया जाएगा।

(बी) ऐसे किसी भी अध्ययन पाठ्यक्रम एवं/अथवा शोध कार्यक्रम को उपलब्ध नहीं कराया जाएगा जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा एवं प्रादेशिक अखण्डता के प्रतिकूल है।

(सी) वह शैक्षिक संस्थान ऐसी किसी भी अन्य शर्तों से बाध्य होगा जो समय-समय पर भारत सरकार एवं सांविधिक निकाय द्वारा विनिर्दिष्ट की गई है।

(डी) जहाँ कहीं भी विदेशी मुद्रा विनियम की स्थिति है, वहाँ पर शैक्षिक संस्थान (भारतीय एवं/अथवा विदेशी) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए सापेक्ष विनियमों, नियमों, अधिसूचनाओं एवं अनुदेशों का अनुपालन करेगा।

(ई) छात्रों की सहभागी संबंधी शिकायतों से जुड़े कानूनी मामलों सहित अन्य शिकायतों पर भारतीय शैक्षिक संस्थान द्वारा विचार किया जाएगा।

4. सहभागिता संबंधी प्रक्रिया:-

किसी भी विदेशी शैक्षिक संस्थान के साथ सहभागिता करने वाले किसी भी भारतीय शैक्षिक संस्थान को उस संबंधित विदेशी संस्थान के साथ एक लिखित समझौता ज्ञापन अथवा समझौता तय करना होगा।

बशर्ते किसी विदेशी शैक्षिक संस्थान के साथ सहभागिता करने वाले भारतीय शैक्षिक संस्थान द्वारा किसी प्रकार का ज्ञापन समझौता अथवा समझौता नहीं किया जाएगा जब तक कि संबद्ध भारतीय शैक्षिक संस्थान ने आयोग की पूर्व अनुमति प्राप्त न कर ली हो।

इसके साथ ही बशर्ते आयोग की स्वीकृति के बाद वह ज्ञापन समझौता अथवा समझौता दोनों सहभागी संस्थानों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और ऐसे ज्ञापन समझौते अथवा समझौते की एक प्रति आयोग को भेजी जाएगी और उस भारतीय शैक्षिक संस्थान द्वारा उसकी वेबसाइट पर भी अपलोड की जाएगी।

5. स्वीकृति की विधि:-

स्वीकृति के लिए निम्न प्रक्रिया को अनिवार्य रूप से पूरा किया जाना है, नामतः:-

- (ए) भारत सरकार, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा मि0सं0 6-2/2015-आइसीसी दिनांक 17 दिसम्बर 2015 एवं इसके संशोधन, जो समय समय पर जारी किए गए हैं, उनके अनुदेशों के अनुसार भारतीय उच्च शैक्षिक संस्थान अपने सीनेट/सिंडिकेट/कार्यकारी परिषद इत्यादि की स्वीकृति विदेशी उच्च शैक्षिक संस्थान के साथ अकादमिक सहभागिता के लिए प्राप्त करेगा।
- (ब) तत्पश्चात्, भारतीय उच्च शैक्षिक संस्थान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के समर्पित पोर्टल पर विदेशी शैक्षिक संस्थान के बारे में ऑनलाइन रूप से आवेदन करेगा तथा ज्ञापन समझौते/समझौते की एक अंकीय (Digital) संत्यापित प्रति, जिसमें अवसंरचना सुविधाएँ, अनुदेशों की सुविधाएँ, संकाय के लिए उपलब्ध सुविधाओं, विनिर्दिष्ट शुल्क, पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या, संचालन की न्यूनतम तीन वर्ष तक की अवधि के लिए निधि, एवं सहभागिता संबंधी यदि कोई अन्य निबन्धन एवं शर्तों का विवरण है, उनको भी उसकी वेबसाइट पर अपलोड करेगा।
- (सी) ज्ञापन समझौते अथवा समझौता प्रारूप में, अकादमिक गतिशीलता सहित, निगमित किया जाना चाहिए कि भारतीय उच्च शैक्षिक संस्थान द्वारा उस सहभागिता बल्कि अन्य सभी दृष्टिकोणों से स्वीकार किए जाएंगे। इसके साथ ही उस सहभागिता में संस्थान द्वारा न केवल सह भागिता बल्कि अन्य सभी दृष्टिकोणों से स्वीकार किए जाएंगे। इसके साथ ही उस सहभागिता में शामिल अध्ययन पाठ्यक्रम की न्यूनतम अवधि उस विदेशी शैक्षिक संस्थान में क्रमशः स्नातकपूर्व पाठ्यक्रमों के लिए दो सत्रों से कम तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए एक सत्र से कम नहीं होगी।
- (डी) समझौता ज्ञापन अथवा समझौते प्रारूप सहित ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने के बाद आयोग उस आवेदन की ऑन-लाइन प्रारूप को सूचित करेगा। प्रस्ताव में यदि कोई अपूर्णताएँ हैं तो उन्हें भी सूचित किया जाएगा और यदि आवश्यक हुआ तो अतिरिक्त दस्तावेज 30 कार्यकारी दिवसों के भीतर मंगाने जाएंगे।
- (इ) उस प्रस्ताव के सभी प्रकार से पूरा होने के संबंध में आयोग द्वारा आश्वस्त होने पर वह प्रस्ताव आयोग की उस समिति के सामने रखा जाएगा जिसका प्रावधान विनियम 3(2)(B) के उपबंध में किया गया है तथा उप-समिति ऐसे प्रस्तावों का परीक्षण करेगी। उप-समिति की अनुशंसाएँ आयोग के सामने विचारार्थ रखी जाएंगी, जो शिक्षा की गुणवत्ता, वसूल किए जाने वाला शुल्क, विदेशी शैक्षिक संस्थान एवं इसके साथ ही भारतीय शैक्षिक संस्थान की विश्वसनीयता एवं अन्य घटकों पर विचार करने के बाद उस स्वीकृति पत्र को जारी करने का निर्णय लेगा। आयोग द्वारा अपने निर्धारित पोर्टल पर एक अस्वीकृति पत्र जारी किया जाएगा। आवेदनकर्ताओं से प्राप्त समस्त पत्र-व्यवहारों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 60 कार्यकारी दिवसों के भीतर प्रत्युत्तर देगा। आयोग यदि प्रस्ताव स्वीकृत नहीं करता है तो समस्त कारणों सहित विश्वविद्यालय अनुसार आयोग द्वारा अपने निर्धारित पोर्टल पर एक अस्वीकृति पत्र जारी किया जाएगा। आवेदनकर्ताओं से प्राप्त समस्त पत्र व्यवहार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 60 कार्यकारी दिवसों के भीतर ही प्रत्युत्तर देगा।
- (एफ) इस प्रकार से दी गई स्वीकृति उस सहभागिता के अन्तर्गत शामिल डिग्री पाठ्यक्रमों की न्यूनतम अवधि के दो चक्रों/सत्रों के लिए वैध होगी अथवा जैसा अन्यथा विनिर्दिष्ट किया गया हो उसके अनुसार होगी।
- (जी) इस सहभागिता के अन्तर्गत इन विनियमों के अनुसार दी गई स्वीकृति के नवीकरण के लिए भारतीय शैक्षिक संस्थान यूजीसी पोर्टल पर उसके समापन से छह माह पूर्व आवेदन करेगा।
6. विविध शर्तें:-
- पूरी की जाने वाली अन्य शर्तें हैं:-
- (ए) किसी विदेशी शैक्षिक संस्थान एवं भारतीय शैक्षिक संस्थान के मध्य, चाहे वह किसी भी नामावली से जाने गये हों, फ्रेंचाइज की अनुमति इन विनियमों के अन्तर्गत नहीं होगी।
- (बी) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वीकृत सहभागी संस्थाओं की एक अद्यतन सूची उनकी अपनी वेबसाइट पर अनुरक्षित रहेगी।
- (सी) इन विनियमों के प्रवर्तन के बाद कोई भी भारतीय शैक्षिक संस्थान, भारतवर्ष में किसी विदेशी शैक्षिक संस्थान के साथ सहभागिता के द्वारा डिग्री प्रदान करने से संबंधित अपनी शैक्षिक गतिविधि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की निश्चित अनुमति अथवा स्वीकृति के बिना संचालित नहीं करेगा।
- (डी) विदेशी शैक्षिक संस्थान के साथ सहभागी व्यवस्था के अनुसार किसी भारतीय शैक्षिक संस्थान से स्नातक स्तर पर उत्तीर्ण होने वाले छात्र को, केवल भारतीय शैक्षिक संस्थान द्वारा ही देश में आन्तरिक रूप से डिग्री प्रदान की जाएगी न कि किसी विदेशी शैक्षिक संस्थान द्वारा, वह चाहे कोई भी संस्थान क्यों ना हो, संयुक्त डिग्रियों की अनुमति नहीं है। भारतीय शैक्षिक संस्थान द्वारा प्रदान की गई डिग्री पर, केवल उसका प्रतीक, सील एवं नाम डिग्री प्रदान कर रहे संस्थान के रूप में होगा। डिग्री में इस आशय का एक अनुच्छेद निगमित हो सकता है कि इसे विदेशी शैक्षिक संस्थान की सहभागिता में प्रदान किया जा रहा है जिससे यह यथेष्ट रूप से स्पष्ट होगा कि डिग्री की प्राथमिकता के साथ भारतीय शैक्षिक संस्थान द्वारा प्रदान की जा रही है और प्रदान की गई डिग्री को संयुक्त डिग्री के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।
- विदेशी शैक्षिक संस्थान पर प्राप्त किए गए प्रतिलेखन (Transcripts) उस संस्थान द्वारा जारी किए जाएंगे और जब वे संयुक्त रूप से भारतीय शैक्षिक संस्थान द्वारा हस्ताक्षरित होंगे, तो वे प्रतिलेखन के अंश के रूप में होंगे। भारतीय शैक्षिक संस्थान में अर्जित क्रेडिटों के प्रतिलेखन (Transcripts) को भी भारतीय विदेशी संस्थान द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।

7. उल्लंघन के परिणाम

(ए) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, किसी भी पक्ष द्वारा की गई शिकायत के आधार पर स्वयंमेव जाँच करा सकता है जिसमें सहभागिता सम्बन्धित व्यवस्थापन की प्रत्यक्ष पड़ताल शामिल है और वह स्वयं को इस बात से पूरी तरह सन्तुष्ट कर लेने के बाद, कि सहभागिता कर रहे संस्थान इन विनियमों के अनुसार कार्यान्वयन नहीं कर रहे हैं, सहभागिता की स्वीकृति निरस्त कर सकता है और इस प्रकार के निर्देश जारी करते समय, आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि-जिन छात्रों ने इस पाठ्यचर्या अथवा पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश प्राप्त किया है उन्हें उस वांछित अर्हता प्राप्त करने तक की अवधि में बने रहने की अनुमति हो।

बशर्तें स्वीकृति निरस्त किए जाने से पूर्व उस भारतीय शैक्षिक संस्थान को उनका पक्ष प्रस्तुत करने का एक अवसर प्रदान किया जाएगा।

(बी) यदि ऐसा पाया जाता है कि संबद्ध संस्थान ने इन विनियमों का उल्लंघन किया है तो आयोग अपने अधिनियम के अनुच्छेद 14 के प्रावधान के अनुसार कार्रवाई करेगा और अपनी वेबसाइट के माध्यम से तथा मीडिया द्वारा अधिसूचित करेगा कि कथित सहभागी व्यवस्थापन के द्वारा प्रस्तुत अथवा संचालित पाठ्यक्रम इन विनियमों के अनुकूल नहीं है।

(सी) किसी मामले में यदि आयोग द्वारा पाया जाता है कि किसी मानित विश्वविद्यालय ने इन विनियमों के किन्हीं प्रावधानों का उल्लंघन किया है तो उपरोक्त (ए) एवं (बी) के अन्तर्गत किए गए प्रावधानों के अतिरिक्त, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केन्द्र सरकार से उसका मानित विश्वविद्यालय रत्न आहरित करने की अनुशंसा कर सकता है।

(डी) यदि कोई भारतीय शैक्षिक संस्थान इस आशय का विज्ञापन जारी करता है कि वह विदेशी शैक्षिक संस्थान की डिग्री उपलब्ध करा रहा है और उस कथित सहभागिता की आयोग द्वारा कोई स्वीकृति नहीं है, तो उस स्थिति में आयोग एक प्राथमिक जाँच संचालित कराएगा और प्रथम दृष्टया धोखेबाजी का साक्ष्य मिलने पर, आयोग, उपयुक्त केन्द्रीय एवं राज्य एजेन्सियों को दण्डात्मक कार्रवाई करने के लिए साक्ष्य सहित सूचित करेगा।

(ई) विनियमों के उल्लंघन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भारतीय शैक्षिक संस्थान के विरुद्ध आगे की कार्रवाई भी कर सकता है।

8. अर्थ की व्याख्या (Interpretation)

(ए) इन विनियमों के अर्थ की व्याख्या संबंधी किसी भी प्रश्न पर निर्णय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा लिया जाएगा तथा इस विषय में उसका निर्णय अन्तिम और बाध्य होगा।

(बी) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इन विनियमों के क्रियान्वयन में उत्पन्न होने वाले किसी संदेह, कठिनाई अथवा अनियमितता को दूर करने के बारे में स्पष्टीकरण जारी करने का अधिकार होगा।

(सी) भारतीय शैक्षिक संस्थान एवं विदेशी शैक्षिक संस्थान के मध्य सहभागी व्यवस्थापन के संबंध में उठने वाला कोई भी विवाद भारतीय कानून द्वारा अभिशासित होगा।

डॉ. जसपाल सिंह सन्धू, सचिव
[विज्ञापन-III/4/असा./164(113)]

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th July, 2016

F. No. 1-1/2012(CPP-II).—In exercise of the powers conferred by clauses (f) and (g) of sub-section (1) of section 26 read with clause (j) of Section 12 of the University Grants Commission Act, 1956, the University Grants Commission hereby makes the following regulations, namely:-

1) **Short title, application and commencement:-**

(1) These regulations may be called the University Grants Commission (Promotion and Maintenance of Standards of Academic Collaboration between Indian and Foreign Educational Institutions) Regulations, 2016 (hereafter referred to as the Regulations).
The University Grants Commission (Promotion and Maintenance of Standards of Academic Collaboration between Indian and Foreign Educational Institutions) Regulations, 2012 shall hereby stand repealed.

(2) These regulations shall apply to-

(a) All Foreign Educational Institutions operating in India through collaboration with Indian Educational Institutions, other than Technical Institutions, prior to the coming into force of these regulations, or intending to operate through collaboration, for offering their programmes leading to award of degrees; and

- (b) Indian Educational Institutions, other than Technical Institutions, already collaborating prior to the coming into force of these regulations, or intending to collaborate with Foreign Educational Institutions for offering programme(s) of study leading to award of degrees.
- (3) Any Indian Educational Institution or Foreign Educational Institution already having a collaborative arrangement shall comply with these regulations within a period of six months from the date of their coming into force.
- (4) These regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2) **Definitions:-**

- (a) "Act" means the University Grants Commission Act, 1956 as amended from time to time;
- (b) "Assessment and Accreditation Agency", in respect of Indian Educational Institutions means an agency recognized under the University Grants Commission (Recognition and monitoring of Assessment and Accreditation Agencies) Regulations, 2014.
- (c) "Assessment and Accreditation Agency", in respect of a Foreign Educational Institution, means an agency or body approved, recognized or authorized by an authority, established or incorporated under a law in its home country or any other statutory authority in that country for the purpose of assessing, accrediting or assuring quality and standards of educational institutions;
- (d) "Collaboration", for the purposes of these regulations, means an arrangement between an Indian Educational Institution and a Foreign Educational Institution, put into place through an instrument of written Agreement for the purposes of twinning leading to the award of degree(s);
- (e) "Commission" means the University Grants Commission established under section 4 of the Act;
- (f) "Degree" means a degree awarded by an Indian Educational Institution in accordance with the provisions of the section 22 of the UGC Act;
- (g) "Franchise" means and includes the offering of degree programmes, formally or informally, by any person or institution or organization, other than the Higher Education Institution recognized under these regulations, on behalf of or in the name of the recognized Higher Education Institution, and the term 'franchisee' shall be construed accordingly
- (h) "Foreign Educational Institution" means—(i) an institution duly established or incorporated in its home country and offering educational programmes at the undergraduate and higher levels in its home country and (ii) which offers or proposes to offer programme(s) of study leading to the award of degree(s) through conventional face-to-face mode, but excluding distance mode, in a twinning arrangement with any Indian Educational Institution;
- (i) "Indian Educational Institution" means a university or college or institution, whether known as such or by any other name, (public and private), other than Technical Institution, recognized as such by the relevant Statutory Body for imparting education at undergraduate and higher levels;
- (j) A "Joint Degree", for the purposes of these regulations, means a single degree jointly awarded by the Indian Educational Institution and the collaborating Foreign Educational Institution.
- (k) "Statutory Body" means a body established or incorporated by or under a Central Act to regulate, coordinate, determine and maintain standards of teaching, examination and research in universities or programme(s) of study, including professional programme(s) leading to the award of degree(s);
- (l) "Technical Institution" means an institution as defined under clause (h) of section 2 of the All India Council for Technical Education Act, 1987 but excluding Technical Universities and Universities offering technical programmes;
- (m) "Twinning Programme" means a programme of study whereby students enrolled with an Indian Educational Institution may complete their programme of study partly in India, complying with relevant UGC regulations, and partly in the main campus of a Foreign Educational Institution in its home country in which it is primarily established or incorporated.

3) **Eligibility criteria and conditions for collaborations:-**

- (1) A Foreign Educational Institution collaborating with an Indian Educational Institution shall satisfy the following criteria or conditions-
 - (a) Be accredited, by an Assessment and Accreditation Agency, with the highest grade (in case of grade accreditation) or threshold level (in case of threshold accreditation), in their homeland.
 - (b) Have operative arrangements in India through Indian Educational Institution(s) by way of collaboration.
 - (c) Abide by any other condition(s) prescribed by the Government of India and Statutory Regulatory Body(ies) from time to time.
- (2) An Indian Educational Institution collaborating with Foreign Educational Institution(s) shall satisfy the following criteria or conditions-
 - (a) At the time of Agreement for collaboration, the Indian Educational Institution shall have accreditation by an Assessment and Accreditation Agency with a grade not less than A or its equivalent grade (in

case of grade accreditation) or threshold level (in case of threshold accreditation) with respect to the institution or programme whichever is applicable:

- (b) It shall have experience of at least six years or have at least two batches of students graduating, whichever is earlier, in offering educational programme(s) in India at the degree level:
 Provided that the Indian Educational Institutions maintained by the Commission or Central/State/ Union Territory Governments shall be exempt from the requirement of six years experience or at least two batches of students graduating, whichever is earlier, in offering educational programme(s) in India at the degree level.
 Provided further that any Indian Educational Institution which has signed a collaboration agreement with Foreign Educational Institution prior to the date of coming into force of the Regulations and not having the desired accreditation on the date of notification of these regulations, shall be required to obtain the accreditation, by a recognized accreditation agency, with a grade not less than A or its equivalent within one year after completion of six years from the date of the commencement of educational programme(s) or two batches of students graduating, whichever is earlier.
 Provided further that within six months of notification of these regulations, the collaboration shall be evaluated by a sub-committee of the Commission, which shall take into account a presentation by the Indian Higher Educational Institution. The sub-committee will include experts having experience in international jurisprudence; international academic background and also comprise representatives of Association of Indian Universities; All India Council of Technical Education, etc.
 The Commission shall take a decision on the continuation or otherwise of the collaboration based on the recommendations of the sub-committee. In case of the decision of discontinuation of the collaboration, the Commission shall record the extenuating ground for its decision. The decision of the Commission shall be communicated to the institution.
- (c) Its academic infrastructure, including laboratory and workshop facilities and library shall meet the requirements of the relevant professional Statutory Councils/ Bodies.
- (d) The Indian Educational Institution, if it is an institution affiliated to a university, collaborating with Foreign Educational Institutions for conducting programme(s) of study leading to the degree(s) shall obtain prior approval from the affiliating university concerned.
- (3) All institutions (Indian or Foreign) involved in collaborative, twinning or other forms of partnership arrangements shall satisfy the following criteria and conditions:
- (a) The academic requirements and other details of the programme(s) of study shall be made public by displaying prominently in the website, before the commencement of the programme, by the Indian Educational Institution concerned.
- (b) No programme of study and/or research shall be offered which is against national security and territorial integrity of India.
- (c) The Educational Institution concerned shall also abide by any other condition(s) specified by the Government of India and Statutory Body (ies) from time to time.
- (d) Wherever foreign exchange is involved, the educational institution (Indian and/or foreign) shall abide by and comply with the relevant Regulations, Norms, Notifications and Instructions issued by the Reserve Bank of India from time to time.
- (e) Matters relating to the grievances of students including legal matters relating to the collaboration shall be addressed by the Indian Educational Institution entering into academic collaboration.
4. **Procedure for collaboration:-**
 Any Indian Educational Institution collaborating with a Foreign Educational Institution(s) shall have to enter into a written Memorandum of Understanding or Agreement with the Foreign Educational Institution concerned:
 Provided that no Memorandum of Understanding or Agreement shall be entered into by an Indian Educational Institution collaborating with a Foreign Educational Institution unless the Indian Educational Institution concerned has obtained prior approval of the Commission;
 Provided further, that after approval of the Commission, the Memorandum of Understanding or Agreement shall be signed by both the partnering institutions and a copy of such Memorandum of Understanding or Agreement shall be forwarded to the Commission and shall also be uploaded on its website by the Indian Educational Institution.
5. **Procedure for approval:-**
 For approval, the following procedure is required to be fulfilled; namely-
- (a) The Indian Higher Educational Institution shall obtain the approval of its Board of Governors/Syndicate/ Executive Council for the academic collaboration with the foreign higher educational institution in accordance with the instructions of the Department of Higher Education, Government of India vide F.No. 6-2/2015-ICC dated 17th December, 2015 and its subsequent amendments, if any, issued from time to time.

- (b) The Indian Higher Educational Institution shall, thereafter, apply online on the dedicated University Grants Commission portal and also upload along with the application a digitally certified copy of draft Memorandum of Understanding/ Agreement and details about the Foreign Educational Institution including the infrastructure facilities, facilities available for instruction, faculty, specified fee, courses, curricula, requisite funds for operations for a minimum period of three years and other terms and conditions of collaboration, if any.
- (c) The draft Memorandum of Understanding or Agreement should incorporate the provision that the credits, awarded by the Indian Higher Educational Institution under the degree programs covered in the collaboration, shall be accepted by the Foreign Higher Educational Institution not only for the collaboration but for all other purposes, including academic mobility. Further, the minimum duration of the program of study, covered under the collaboration, in the Foreign Educational Institution shall not be less than two semesters for undergraduate programs and one semester for the postgraduate programs.
- (d) The Commission, after receiving the online application along with draft Memorandum of Understanding or Agreement shall acknowledge online the receipt of the application. Deficiencies in the proposal, if any, shall be communicated and additional documents, if any required, shall be asked for within a period of 30 working days.
- (e) Once the Commission is satisfied that the proposal is complete in all respects, the proposal shall be placed before the sub-committee of the Commission, referred to in the third proviso to Regulation 3(2)(b), for examining such proposals. The recommendations of the sub-committee shall be placed before the Commission which shall take the decision to issue a letter of approval, after considering various factors including quality of education, overall merit of the proposal, fees to be charged, credibility of the Foreign Educational Institution as well as Indian Educational Institution. In case the Commission does not approve the proposal, a letter of rejection shall be issued on the designated University Grants Commission portal by the Commission stipulating the reasons there for. All communications received from the applicants shall be responded to by the University Grants Commission within a period of 60 working days from the dates of their receipt.
- (f) The approval so granted shall be valid for two cycles of the minimum duration of the degree programmes covered under the collaboration or as specified otherwise.
- (g) The Indian Educational Institution shall apply, on the designated UGC portal, for renewal of approval, granted under these regulations, before six months of its expiration.

6. Miscellaneous conditions:-

The other conditions required to be fulfilled are -

- (a) A franchise arrangement, whether overtly or covertly, by whatever nomenclature used, between a Foreign Educational Institution and an Indian Educational Institution shall not be allowed under these regulations.
- (b) The University Grants Commission shall maintain an updated list of approved collaborating institutions on its website.
- (c) On commencement of these regulations, no Indian Educational Institution shall establish or operate its educational activity in India through collaboration with a Foreign Educational Institution leading to award of degree(s) without the express permission or approval of the Commission.
- (d) Within the country the degree of the student graduating from Indian Educational Institution, in collaborative arrangement with Foreign Educational Institution, shall be awarded only by the Indian Educational Institution and not by Foreign Educational Institution whatsoever. Joint degrees are not permitted. The degree awarded by the Indian Educational Institution shall carry its logo, seal and name alone as the awarding institution. The degree may incorporate a para that it is being awarded in collaboration with the Foreign Educational Institution to make it amply clear that the primacy and the award of the degree is by the Indian Educational Institution and that the degree awarded is not to be construed as a Joint Degree.
- The transcripts of credits obtained at the Foreign Educational Institution shall be issued by that Institution, and when jointly signed by the Indian Educational Institution, shall form part of the transcripts. The Foreign Educational Institution may also sign the transcript of credits earned in the Indian Educational Institution.

7. Consequences of violation:-

- (a) The Commission shall, *suo motu* or on the basis of any complaint from any quarter may cause an inquiry, including physical inspection, of the collaborative arrangements and after having satisfied itself that the collaborating institution(s) is/are not functioning in accordance with these regulations, may revoke the approval for collaboration and while issuing such directions, the Commission shall ensure that the students, who have already enrolled for such course or programme are permitted to continue till they obtain requisite qualification:

Provided that before revocation of approval, an opportunity of being heard shall be given to the Indian Educational Institution concerned.

- (b) If the institution concerned is found to have violated these regulations, the Commission shall take action as provided under section 14 of the Act and shall also notify on its website and also through media that the programme(s) offered or conducted through the said collaborative arrangements are not in conformity with these regulations.
- (c) In case the Commission finds any Deemed to be University violating any of the provisions of these regulations, in addition to provisions made under clauses (a) and (b) above, the Commission may also recommend to the Central Government for withdrawal of Deemed to be University status.
- (d) If an Indian Educational Institution issues an advertisement that it is offering a degree from a Foreign Educational Institution, and this collaboration does not have the approval of the Commission, the Commission shall conduct a preliminary inquiry and on finding prima-facie evidence of fraud inform the appropriate Central and State agencies, along with evidence, for initiating penal action.
- (e) The Commission may also take further action against Indian Educational Institution(s) for violating the regulations.

8. Interpretation:-

- (a) Any question as to the interpretation of these regulations shall be decided by the Commission and its decision shall be final and binding in the matter.
- (b) The Commission shall have the power to issue clarifications to remove any doubt, difficulty or anomaly which may arise in regard to the implementation of these regulations.
- (c) Any dispute arising in relation to collaborative arrangement between Indian Educational Institution(s) and Foreign Educational Institution(s) shall be governed by the Indian law.

Dr. JASPAL SINGH SANDHU, Secy.
[ADVT.-III/4/Exty./164(113)]